पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारान की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया की वाद ग्रस्त भूमि ग्राम रोला पटवार मण्डल बारू के खसरा नंबर 3 रकबा 100 बीघा भूमि व खसरा नंबर 6 रकबा 100 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी व उसके पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से आज दिनांक तक कब्जा कास्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के टांका, ढाणी पशुओं के वाडे इत्यादि बने हुए है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का वाद दायर कर रखा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी पक्ष में बनने के कारण तादावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी के फरमाई जावे। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने अपनी बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में कभी भी निरन्तर कब्जा कास्त रहा नहीं रहा है और न ही वर्तमान में कब्जा एवं कास्त है। प्रार्थी ने कब्जे के बारे में किसी प्रकार का साक्ष्य व एलआर एक्ट की धारा 91 की कार्यवाही का कोई सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी अतिकमी है प्रार्थी ने जब कभी भी कब्जा किया तब मौके से बेदखल कर दिया गया। प्रार्थी सरकारी भूमि को हडपना की नीयत से सरासर गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया जाना राजहित में नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि ग्राम रोला पटवार मण्डल बारू के खसरा नंबर 3 रकबा 100 व खसरा नंबर 6 रकबा 100 बीघा भूमि में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

Scanned by CamScanner